**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 627 का उत्‍तर**

 **रेलवे में समय की पाबंदी**

**627. श्री बी. के. हरिप्रसाद:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष ने रेलवे के आठ अंचलों के महाप्रबंधकों से 70 प्रतिशत से कम कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी बरते जाने के संबंध में वीडियो कांफ्रेंस की थी; और

(ख) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

(क) और (ख) जी हां। यात्री गाड़ियों के समयपालन को मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम), महाप्रबंधकों (जीएम) और रेलवे बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर नियमित आधार पर सघन मॉनिटर किया जा रहा है। जोड़ी वाली गाड़ियों की देरी से चालन की स्थिति में सही समय पर रेल गाड़ियों की चालन को सुनिश्चित करने के लिए, स्क्रैच रेक लगाया जाता है और रेक को परिचालनिक रुप से व्यवहार्य सीमा तक मानकीकृत किया जाता है। समयपालन में सुधार के लिए परिसंपत्ति संबंधी विफलता को कम करने के लिए परिसंपत्तियों की सुरक्षात्मक अनुरक्षण की प्राथमिकता, स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण द्वारा क्षमता आवर्धन परियोजनाएं, दोहरीकरण, तीसरी लाइन कॉरीडोर का निर्माण, स्वचालित सिगनलिंग, समपार को प्रतिस्थापित करने के लिए सीमित उचाईं वाले सव-बे का निर्माण, निचला सड़क पुल (आरयूबी) और ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर समयपालन अभियान चलाया जाता है और रेलगाड़ी परिचालन में शामिल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलों को कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों की सिविल और पुलिस प्राधिकारियों से बेहतर समन्वय करने की भी सलाह दी गई है।

\*\*\*\*\*